लोक–सुनवाई का वृत

मेसर्स गीता इन्टरप्राईजेज, प्रो0 गीता सारस्वत, पिता–श्री राम प्रताप शर्मा, सी–24 नारायण विहार कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान–334001 द्वारा दाहुक (डॉक), गैरिया, महानंदा, मेची एवं कनकई नदी के बालू घाट शीतलझाड़ी, सुन्दरबाड़ी, बेलवा काशीपुर, टेढ़ागाछ, पुरन्दरपुर, गम्भीरगढ़ एवं पलसा (किशनगंज यूनिट–05 कुल क्षेत्रफल–91.0 हेक्टेयर) प्रखण्ड–पोठिया, किशनगंज टेढ़ागाछ, ठाकुरगंज, दिघलबैंक, जिला–किशनगंज के अन्तर्गत परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 के तहत् दिनांक 08.09. 2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे किशनगंज जिला के प्रखण्ड कार्यालय, किशनगंज, जिला–किशनगंज में लोक–सुनवाई की गयी।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना सं0–एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सिम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् राज्य स्तरीय पर्यावरणीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार के द्वारा निर्गत TOR File.No.SIA/1(a)/2423/2023, के आलोक में श्री अनुज कुमार, अपर समाहर्त्ता, किशनगंज (जिला पदाधिकारी, किशनगंज के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, द्वारा दिनांक 08.09.2023 को पूर्वाह्न 11:00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, किशनगंज, जिला–किशनगंज में लोक–सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (**अनुलग्नक–1**)

इस लोक–सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा प्रभात खबर एवं दैनिक भास्कर के माध्यम से दिनांक 07.08.2023 को प्रकाशित की गयी थी (**प्रतिलिपि संलग्न**)। लोक–सुनवाई के दौरान श्री सैन कुमार, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पूर्णियाँ द्वारा लोक–सुनवाई में उपस्थित जन–समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं0–एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत् इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक–सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया। लोकहित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोकहित के संबंध में सुझाव/विचार/मंतव्य माँगा गया।

लोक–सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना के सलाहकार श्री नीतीश कुमार ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट पर्यावरण जिम्मेदारी (Corporate Environmental Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल–कण की रोक–थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा। बालू लदे वाहनों पर ओवरलोडिंग नही की जायेगी। वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 1 मीटर की गहराई तक या भू–जल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा।

पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में 910 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। बालू खनन के दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के Sutainable Sand Mining Management Guidelines 2016 (SSMG-2016) एवं Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining-2020 (EMGSM-2020) के प्रावधानों का अनुपालन किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत हैः–

कमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री प्रेम चन्द साह, ग्राम–टेडागाछ, जिला–किशनगंज।	इनके द्वारा पूछा गया कि खनन परियोजना से क्या रोजगार मिलेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया जायेगा। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। योग्यता के आधार पर रोजगार दिया जायेगा, जो कम्प्यूटर चलाना जानते है उनको चालान काटने का काम दिया जायेगा, जो गाड़ी पोकलेन मशीन चलाना जानते है, उनको पोकलेन के चालक का काम, छोटी गाड़ी का चालक, माली, गार्ड इत्यादि का काम दिया जायेगा इत्यादि।
2.	मो0 अनवारूल हक, ग्राम–पोठिया, जिला–किशनगंज।	इनके द्वारा पूछा गया कि नदी से बालू ले जाने के क्रम में रास्ता के लिए क्या कार्य किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू घाट से मुख्य सड़क तक बालू परिवहन के दौरान प्रयुक्त होने वाले रास्ते का रख–रखाव एवं मरम्मति कार्य नियमित रूप से संवेदक द्वारा किया जायेगा। सड़क के दोनो ओर वृक्षारोपण एवं जल छिड़काव का कार्य किया जायेगा।
3.	मो0 मंजर, पिता मो0 आलम, ग्राम–ढाला माला, जिला–किशनगंज।	इनके द्वारा पूछा गया कि बालू परिवहन के दौरान उड़ने वाले धुलकंण के लिए क्या किया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू से लदा गाड़ी तिरपाल से ढ़ककर ले जाया जायेगा। ओभर लोडिंग नहीं किया जायेगा। यातायात के नियमों को सुनिश्चित

		किया जायेगा। दिन में 02 बार जल–छिड़काव किया जायेगा।
4.	श्री कुलाजीत सिंह, ग्राम–पोठिया, जिला–किशनगंज।	इनके द्वारा पूछा गया कि पेड़ पौधा किनके द्वारा लगाया जायेगा। पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि परियोजना संचालन द्वारा कुल 910 वृक्ष लगाये जायेंगे। हॉल रोड, गाँव के आस–पास इत्यादि जगह पर लगाये जायेंगे। इन पेड़ों की सुरक्षा एवं रख–रखाव परियोजना संचालक द्वारा किया जायेगा। जो व्यक्ति अपने रैयती जमीन में पेड़ लगाना चाहेंगे, उनको संवदेक द्वारा मुफ्त में पौधा उपलब्ध कराया जायेगा।

खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बताया गया कि खनन प्रभावित क्षेत्र के लिए जिला खनिज फाउंडेशन में संचित राशि से खनन प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेय–जल इत्यादि पर खर्च करने का प्रावधान है। खनन राजस्व से प्राप्त राशि का 2% इसमें संचित होता है। इस राशि का उपयोग खनन प्रभावित क्षेत्र का विकास किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि बालू का उपयोग निर्माण कार्य में किया जाता है जिससे राज्य का विकास होता है। विकास के साथ पर्यावरण पर भी ध्यान देना आवश्यक है।

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के क्रम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेगें एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढ़क कर ही परिवहन करेंगे। उन्होने उम्मीद जताया कि संवेदक द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य जिससे पर्यावरण भी संरक्षित रहे एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन शत्प्रतिशत सुनिश्चित किया जायेगा।

उनके द्वारा बताया गया कि अगर खनन प्रारंभ होगा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। गाँव की अर्थ–व्यवस्था एवं प्रभावित क्षेत्र का विकास में तेजी आयेगी।

जन–सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सक्षम प्राधिकार को अग्रसारित करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

नवीन कुमार

क्षेत्रीय पदाधिकारी, पूर्णियाँ
बि.रा.प्र.नि.पर्षद्

खनिज विकास पदाधिकारी
किशनगंज

अपर समाहर्त्ता,
किशनगंज

उपस्थिति सूची

मेसर्स गीता इन्टरप्राईजेज द्वारा दाहुक, गैरिया, महानंदा, मेची एवं कनकई नदी के बालू घाट शीतलझाड़ी, सुन्दरबाड़ी, बेलवा काशीपुर, टेढ़ागाछ, पुरन्दरपुर, गम्भीरगढ़ एवं पलसा (किशनगंज यूनिट–05 कुल क्षेत्रफल–91.0 हेक्टेयर) प्रखण्ड–पोठिया, किशनगंज टेढ़ागाछ, ठाकुरगंज, दिघलबैंक, जिला–किशनगंज के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 08.09.2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, किशनगंज, जिला–किशनगंज में आयोजित लोक–सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Anuj Kumar ADM Kishanganj	Kishanganj	[signature] 8/9/23
2.	Sain Kumar R.O. Purnea.	B.S.P.C. Board.	सैन कुमार 8/9/23
3.	Samir Kumar C.O	CO KNE	[signature] 8-9-23
4.	Pranav Kr. Prabhakar MDO Kishanganj	MDO Kishanganj	[signature] 08.09.23
5.	Umashankar Singh Mining Insbt	Mining Insbt Kishanganj	[signature]
6.	Nitish Kumar	P&M Solution, Noida (Env. Consultant.)	Nitish Ku.
7.	कुन्दराज शर्मा	V.P.O. खगड़ा, [illegible] जिला - किशनगंज	कुन्दराज शर्मा
8.	Kaushal Kishor Yadav	at- Thakurganj P.S- " Dist- Kishanganj	[signature]
9.	Md. Shakel	Vill- Arrabari. P.O. Raipur Kishanganj	Md. Shakel
10.	Dulaljeet Singh	Vill- Gilhabari Po - Panbara Pothia	[signature]

11.	प्रेम चन्द्र साह	9006224170	प्रेम चन्द्र साह
12.	MOFIZ	~~96610~~ छिंगी माली	MOFIZ
13.	आनवारुल हक	[illegible]	आनवारुल हक
14.	[illegible]	[illegible]	[signature]
15.	फजलुर रहमान	गम्भीरगढ़ घाट	फजलुर रहमान
16.	Md. Rocky	Nasia. sitabhari.	Rocky
17.	Nikhil Prabhat.	Thakurganj.	Nikhil Prabhat.
18.	Nil Mohan Yadav	Digital bank	[signature]
19.	[signature]	Thakurganj	[signature]
20.	Myeile Bishnoi	Thakurganj	[signature]
21.	Net ram	Thakurganj	[signature] 7765905113
22.	[signature]	Kishanganj	[signature] 8292236737
23.	Binay Kr Gupta.	Kishanganj	973 Vinay
24.	Md. Haider Ryazi	Bargama Bahadurganj	[signature]
25.	Rakhar Alam	Belwa - Kishanganj	[signature]

26.	मो० मंजूर	औराबाड़ी	मो० मंजूर
27.	Md Kadir	Belwa hat	Md Kadir
28.	अलाउद्दीन	[illegible]	[illegible]
29.	Md Hakimuddin	Bairbanna	[illegible]
30.	Chandan Paswan	Thakurganj	Chandan
31.	Pradip Kumar.	Mining office Kishanganj	[illegible]
32.	Saroj kr Singh	Mining office Kishanganj	S.K.Singh
33.	Rati Kram	Deghalbank	Kram
34.	Md Saifuddin	Kishanganj S	[illegible]
35.	Bikram Kumar	Kishanganj	[illegible]
36.	Ram Dsy	A.S.R	[illegible]
37.	Rakesh Kumar	Kisham	[illegible]
38.			
39.			
40.			